फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

आशीष बनाम जगदीश वगै0

[illegible] संख्या : प्रा0प0 69/2020

[illegible]	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	27.10.2020	बाद कार्यालय रिपोर्ट पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थनापत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को सूचनापत्र/नोटिस जारी हो। इस स्तर पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना प्रस्तुत की गई जिसे सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मूल वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में उभयपक्ष को आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त वर्णित आराजीयात खाता संख्या 207 पुरानी खाता संख्या 43 में स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 404 रकबा 0.600 है0, 411/665 रकबा 0.0300 है0, 722/405 रकबा 0.0600 है0, 725/411 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस बाबत अप्रार्थीगण को सूचनापत्र/नोटिस जरिए पंजीकृत डाक से प्रेषित करें। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 11/11/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर सहायक कलेक्टर मु0 जयपुर आमेर मु. जयपुर पत्रावली आज दिनांक 11-11-2020 को पेश हुई। [illegible] आज अवकाश पर है, [illegible] अनुसार दिनांक 23-12-2020 को पेश हो।	Reg. Ad. नोटिस 3675-3685 28/10/2020
	23/12/2020	~~पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी [illegible] में [illegible] डा0 पत्र [illegible] पेशी से पूर्व [illegible] डा0 पत्र [illegible] किया। [illegible] किया जाता है। दोनों पक्षों को शामिल मिसल की पत्रावली [illegible]~~	आशीष [illegible]

~~कम हो।~~

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.03 15:16:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner